(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4283

1- गफूर अली पुत्र स्वर्गीय जहूर खाँ आयु 54 साल

2- शाकिर अली पुत्र स्वर्गीय जहूर खाँ 48 साल

3- श्रीमती जुलेखाबी [redacted] पुत्री स्वर्गीय श्री जहूर खाँ आयु 46 साल

4- जैबुनीनशा पत्नी मुबीन शाह पुत्री स्वर्गीय श्री जहूर खाँ आयु 34 साल

5- श्रीमती मुन्नीबी पत्नी स्वर्गीय जहूर शाह आयु 66 साल समस्त निवासीगण ग्राम मेहमूदा तहसील बासौदा जिला विदिशा मध्यप्रदेश

--- -- निगरानीकर्ता/आवेदकगण

श्री चन्द्रेश कुमार अभिभाषक
द्वारा आज दि. 6-11-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7/11/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पेशी दि० 4-12-17

Noted
4/12/17

बनाम

सलीम शाह पुत्र गफूर शाह आयु 48 साल निवासी ग्राम मेहमूदा तहसील बासौदा जिला विदिशा मध्यप्रदेश -- रिस्पोन्डेन्ट

निगरानी आधीन धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 7-10-2017 प्रकरण क्रमांक 660/14-15 अपील व उन्वान गफूर अली बनाम सलीम शाह व विरुद्ध आदेश दिनांक 25-6-2015 प्रकरण क्रमांक 22/14-15 पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा जिला विदिशा व उन्वान गफूर अली बनाम सलीम शाह

- -

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4283 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को तहसील न्यायालय में पुन: आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् जांच एवं साक्ष्य लिए जाने के उपरांत आदेश पारित करने का लेख किया गया है जहां मृतक के सभी वैद्य वारिसानों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामत: यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	